



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274179  
CG-DL-E-06072026-274179

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3494]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 3494]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

का.आ. 3655(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात जिसे आयकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के साथ पठित इसकी अनुसूची VII [तालिका: क्रमांक 42] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पैन: AAAGT0080Q)" (एतश्मिन पश्चात निर्धारित कहा गया है), जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के तहत गठित एक बोर्ड है, को उस क्रमांक के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-2027 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारित आयकर अधिनियम की अनुसूची VII [तालिका: क्रमांक 42] में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्यों से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के तहत गठित बोर्ड बना रहता है।

[अधिसूचना सं. 77 /2026/फा. सं. 300195/39/2025-आईटीए-1]]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2026

**S.O. 3655(E).**— In exercise of the powers conferred by Schedule VII [Table: Sl. No. 42] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (hereinafter referred to as the Income-tax Act), the Central Government hereby notifies the “Telangana Pollution Control Board (PAN:AAAGT0080Q)” (hereinafter referred to as the assessee), a Board constituted under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) for the purposes of that serial number.

2. This notification shall be effective from the tax year 2026-2027, subject to the condition that the assessee continues to be a Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), with one or more of the purposes specified in Schedule VII [Table: Sl. No. 42] of the Income-tax Act.

[Notification No. 77/2026/F. No. 300195/39/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.